नेशनल बुक ट्रस्ट, इंडिया

नेहरू भवन, 5 इंस्टीट्यूशनल एरिया, फेज–II,
वसंत कुंज, नई दिल्ली – 110 070

एकः सूते सकलम्

पुस्तक प्रोन्नयन गतिविधियों के लिए स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता योजना

मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्चतर शिक्षा विभाग, भारत सरकार के अधीन गठित स्वायत् संस्थान, नेशनल बुक ट्रस्ट, इंडिया निम्नलिखित उद्देश्यों में से किसी एक या अधिक की पूर्ति हेतु स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता योजना जारी करता है :

(क) भारत भर में पुस्तक प्रोन्नयन विषयों पर केंद्रित पुस्तक मेलों/भारतीय लेखकों/प्रकाशकों/पुस्तक विक्रेताओं से संबंधित संगोष्ठियों का आयोजन करना।

(ख) पुस्तक प्रोन्नयन से सीधे जुड़े विषयों के प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का आयोजन करना।

(ग) लेखकों/प्रकाशकों/मुद्रकों/पुस्तक विक्रेताओं के लिए वार्षिक सभाओं/सम्मेलनों का आयोजन करना।

(घ) पुस्तक उद्योग से संबद्ध शोध/सर्वेक्षण करना।

(ड़) पुस्तक उद्योग के विकास को बढ़ावा देने वाली किसी भी गतिविधि का आयोजन करना।

अनुदान के लिए आवेदन–पत्र जमा करने हेतु बुनियादी नियम एवं शर्तें निम्नलिखित है :

1. लेखकों, प्रकाशकों, पुस्तक विक्रेताओं तथा पुस्तक प्रोन्नयन की गतिविधियों से जुड़े स्वैच्छिक संगठन, जो सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 (अधिनियम, 1860 XXI) के अन्तर्गत पंजीकृत हों तथा जो कम से कम पिछले तीन वर्षो से अस्तित्व में हों वे ही इस योजना के अंतर्गत् पात्र होंगे।
2. धनराशि का भुगतान किए जाने से पूर्व, संस्थान द्वारा अनुदान से संबंधित एक अनुबंध–पत्र नॉन–ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर भरा जाएगा। किसी भी प्रकार का अनुदान प्राप्त करने से अपूर्व संगठन को यह वचन देना होगा कि उसने इससे पूर्व केंद्र/राज्य सरकार के किसी भी अन्य प्राधिकरण/संस्था से कोई भी आर्थिक सहायता प्राप्त नहीं की है तथा ऐसी किसी भी संस्था को संस्थान द्वारा समान उद्देश्य के लिए किसी भी प्रकार के अनुदान हेतु आवेदन नहीं किया है।
3. संगठन अपने स्त्रोतों से वास्तविक खर्च के 25 प्रतिशत के समकक्ष धनराशि का योगदान देगा, ऐसा नहीं होने पर समानुपातिक धनराशि ट्रस्ट को लौटानी पड़ेगी।
4. पुस्तक मेलों/संगोष्ठियों/कार्यशालाओं/प्रशिक्षण सम्मेलनों की अधिकतम अनुदान राशि प्रत्येक मदद के लिए ट्रस्ट द्वारा तय है।
5. इस योजना की राशि से पूर्व के बकाए अथवा देनदारियों की प्रतिपूर्ति नहीं होगी।
6. सभी आवेदन–पत्र/प्रस्ताव, संसद सदस्य या केन्द्र/राज्य सरकार के किसी भी सक्षम प्राधिकारी से संस्तुति करा कर भेजने होंगे।

नियम एवं शर्तों की विस्तृत जानकारी हेतु आवेदन–पत्र **उप–निदेशक (प्रदर्शनी), नेशनल बुक ट्रस्ट, इंडिया, नहेरू भवन, 5 इंस्टीट्यूशनल एरिया, फेज–II, वसंत कुंज, नई दिल्ली–110 070** से किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 9.30 बजे से सायं 5.00 बजे तक प्राप्त किए जा सकते हैं। आवेदन–पत्र हमारी वेबसाईट **www.nbtindia.org.in.** से भी डाउनलोड किए जा सकते हैं।

कोई भी स्वैच्छिक संगठन, जो प्रपत्र में उल्लिखित सभी नियमों एवं शर्तों को पूरी करते हैं, उनके आवेदन–पत्र **निदेशक, नेशनल बुक ट्रस्ट, इंडिया, नहेरू भवन, 5 इंस्टीट्यूशनल एरिया, फेज–II, वसंत कुंज, नई दिल्ली – 110 070** के पते पर **17 मई 2010** तक पहुंच जाने चाहिए। वित्तीय वर्ष 2010–11 के दौरान अनुदान सहायता के लिए प्राप्त आवेदन–पत्र निर्धारित तिथि के बाद स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

National Book Trust, India

Nehru Bhawan, 5 Institutional Area, Phase-II,
Vasant Kunj, New Delhi - 110 070

Scheme for Financial Assistance to Voluntary Organizations for Book Promotional Activities

National Book Trust, India, an autonomous organization of the Department of Higher Education, Ministry of Human Resource Development, Government of India, implements a scheme of financial assistance for any one or more of the following Book Promotional Activities:

(a) To organize Book Fairs/Seminars of Indian Authors/Publishers/Booksellers on subjects which have directly bearing on book promotion in India.

(b) To organize training courses on a subject directly related to book promotion.

(c) To organize Annual Conventions/Conferences of Writers/Publishers/Printers/Booksellers.

(d) To conduct research/survey connected with book industry.

(e) Any other activity which may be found conducive to the development of book industry.

The basic terms and conditions for submitting application for the Grant are as under:

1. Voluntary organizations of writers, publishers and booksellers and other engaged in the book promotional activities which are registered under the Societies Registration Act 1860 (Act XXI of 1860) and in existence atleast for three year are eligible.
2. Before the amount is paid, a Bond on Non-Judicial Stamp Paper has to be executed by the organization in respect of the grant. The organization receiving grant shall have to give an undertaking that no grant-in-aid has been received from any other authority of the Central/State Government and that a grant-in-aid for the same purpose has not be applied for by the organization from any of those authorities.
3. An amount equivalent to atleast 25% of the actual expenditure shall be contributed by the organization from its own sources, failing which proportionate amount will be refunded to the Trust.
4. The grant for organizing the Book Fairs/Seminars/Workshops/Training Courses/Conventions is subject to the ceiling of expenditure on each item approved by NBT.
5. Grants under this scheme will not be given for meeting previous liabilities or debts.
6. All the applications/proposals should be recommended or routed through Member of Parliament/Central/State Government competent authority.

Detailed terms & conditions and prescribed form for submitting application may be obtained from **The Deputy Director (Exhibition), National Book Trust, India, Nehur Bhawan, 5 Institutional Area, Phase-II, Vasant Kunj, New Delhi - 110 070** on any working day between 9.30 a.m. and 5 p.m. The Application Forms can also be downloaded from our website **www.nbtindia.org.in**.

The voluntary organizations who fulfill the terms and conditions may submit their applications to **The Director, National Book Trust, India, Nehru Bhawan, 5 Institutional Area, Phase-II, Vasant Kunj, New Delhi - 110 070** which should reach to the Trust latest by **17 May 2010.** Applications received after prescribed date will not be considered for grant-in-aid during the financial year 2010-11.